

न्यायालय (शेखर वर्मा) कलेक्टर जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 57/बी-121/2015-16  
: आदेश :

( आज दिनांक 30/05/2016 को पारित किया गया )

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से तहसीलदार अलीराजपुर का जॉच प्रतिवेदन मय प्रकरण प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 04.04.2016 को घटनास्थल ग्राम रामसिंह की चौकी अलीराजपुर - आम्बुआ रोड़ पर मोटर साइकिल एवं ट्रैक्टर के आपस में टक्कराने से निम्नानुसार व्यक्तियों की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता की अनुशंसा की गई है।

क्र.	मृतक का नाम	वारिशान का नाम	आर्थिक अनुदान राशि	अन्य विवरण
1	लालु पिता टुठिया निवासी ग्राम रामसिंह की चौकी	श्रीमति वेस्ती पति स्व. लालु निवासी रामसिंह की चौकी	15,000/-	
2	वेस्ता पिता रामसिंह निवासी ग्राम रामसिंह की चौकी	श्रीमति सेना पति स्व. वेस्ता निवासी रामसिंह की चौकी	15,000/-	
3	कुल	तीस हजार रुपये मात्र	30,000/-	

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार अलीराजपुर के अभिमत से सहमत होकर उक्त गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/एफ-20-01/2012/1/4 भोपाल, दिनांक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार उक्तानुसार आर्थिक अनुदान सहायता राशि पृथक-पृथक स्वीकृत करने का आदेश पारित किया जाता है।

उक्त व्यय मांग संख्या -02-लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम -800-अन्य व्यय- (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता -42 सहायता अनुदान -007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगा।

अनुदान राशि पीडित व्यक्तियों को तत्काल वितरित की जावें।

*sdh*  
(शेखर वर्मा)  
कलेक्टर  
जिला अलीराजपुर

पृ0क/ 416/रीडर/2016

अलीराजपुर दिनांक.....31/5/2016

प्रतिलिपि:- (आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ)

- 1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर ।
- 3 प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर । (खाते की छायाप्रति संलग्न )
- 4 प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.)जिला कार्यालय अलीराजपुर की ओर अपलोड हेतु।
- 5 जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर ।
- 5 तहसीलदार तहसील अलीराजपुर ।
- 6 संबंधित श्री/श्रीमति.....तहसील अलीराजपुर एवं जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर  
जिला अलीराजपुर